# समाचार पत्रों की कतरनें

# सितम्बर 2024

## घायलों का वीडियो न बनाएं, तुरंत अस्पताल पहुंचाएं

### 'दिव्य हिमाचल' के सौजन्य से नेरचौक मेडिकल कालेज में आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों की सलाह

**निजी संवाददाता – नेरचौक**

■ सड़क सुरक्षा विषय पर चर्चा चिकित्सकों को दिए टिप्स

प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप 'दिव्य हिमाचल' द्वारा सड़क सुरक्षा के तहत एक विशेष कार्यशाला का आयोजन श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज नेरचौक में किया गया। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञों की उपस्थिति में न सिर्फ मंथन हुआ, बल्कि भावी चिकित्सकों को सड़क सुरक्षा जुड़े कानूनों व कई अन्य जानकारियों से भी अवगत करवाया गया। सड़क सुरक्षा का यह अभियान 'दिव्य हिमाचल' मीडिया ग्रुप द्वारा डिर्पाटमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट और डिर्पाटमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से शुरू किया गया है। सभी मेडिकल कालेज में इस अभियान के तहत विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। नेरचौक मेडिकल कालेज में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन कालेज के प्रधानाचार्य प्रोफसर डा. डीके वर्मा ने दीप प्रज्जवलित कर किया। प्रधानाचार्य प्रोफसर डा. डीके वर्मा ने कहा कि अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो हादसों को रोका जा सकता है और कइयों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि हादसे के बाद लोग वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कोई घायलों की मदद नहीं करता है। अगर वीडियो बनाना छोड़ कर हम घायलों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाएं, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही हमें ट्रैफिक नियम और साइन के बारे में भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रदेश सरकार से आग्रह है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1998 से जुड़े जरूरी नियमों, ट्रैफिक साइन और फर्स्टएड के बारे में छटी कक्षा से ही विद्यार्थियों को सिलेबस में पढ़ाना व सिखाना शुरू किया जाए, ताकि जब विद्यार्थी वाहन चलाने योग्य हों, तो इन्हें नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी जानकारी हो। इस अवसर पर विशेषज्ञों के रूप में एएसपी मंडी सागर चंद्र, आरटीओ मंडी नरेंद्र सिंह और डाक्टर अभिनव वर्मा सीनियर रेजिडेंट आर्थो डिर्पाटमेंट ने भी सड़क सुरक्षा और घायलों के उपचार को लेकर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक संजीव शर्मा, डा. रमेश, डा. नेगी और आर्थो डिपार्टमेंट का स्टाफ व अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

दिव्य हिमाचल, दिनांक.01 सितम्बर 2024
पेज न0 03 कालम–1,2,3,4,5

## आईटीएमएस कैमरों से चार करोड़ जुर्माना वसूला

**अमर उजाला ब्यूरो**

### प्रदेश में 66 जगह स्थापित आईटीएमएस कैमरों से तेज रफ्तार पर कसा शिंकजा

शिमला। प्रदेश में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने में आईटीएमएस कैमरे कारगर साबित हो रहे हैं।

इस साल अभी तक इन कैमरों की मदद से यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से करीब 4 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है। प्रदेशभर में 66 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों को प्रदेश के नेशनल हाईवे, फोरलेन और स्टेट हाईवे पर स्थापित किया गया है। इसका मकसद हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसना है।

प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों की छानबीन में सामने आया है कि चालक की लापरवाही के कारण ज्यादातर हादसे होते हैं। इसमें तेज रफ्तार हादसे का मुख्य होता है। आईटीएमएस कैमरे ऐसे वाहनों की रफ्तार को डिटेक्ट करते हैं और उनके खिलाफ चालान जारी किए जाते हैं।

यह कैमरे इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले चालकों पर भी कार्रवाई करने में सहायक साबित हो रहे हैं। एएसपी टीटीआर नरवीर ठाकुर ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है।

अमर उजाला, दिनांक.01 सितम्बर 2024
पेज न0 05 कालम–1,2

# शहर में प्रेशर हॉर्न बजाया तो वाहन उठा लेगी पुलिस

## जिले में 15 से 30 सितंबर तक पुलिस चलाएगी विशेष अभियान

अमर उजाला ब्यूरो

**शिमला।** जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस विभाग 15 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगा। इसमें प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इसमें पुलिस गाड़ी का चालान काटने के साथ गाड़ी जब्त तक कर सकती है। 24 अगस्त को प्रदेश सचिवालय में आयोजित राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की चौथी में बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया है। इसमें चिंता जाहिर की गई कि ध्वनि प्रदूषण के कारण शहर सहित प्रदेशभर के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।

बैठक में बनी सहमति के बाद यातायात, पर्यटक और रेलवे विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। शहर में वाहनों की भारी संख्या के साथ ही वाहनों के कारण ध्वनि प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हुई है। कई बार देखा गया है कि लोग ट्रैफिक जाम लगने पर बेवजह हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम 1998 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार बहु स्वर तथा कर्कश ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है। प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर जुर्माने के साथ ही वाहन जब्त किया जा सकता है।

### यह हैं शांत क्षेत्रों में शामिल

लॉरेटो कान्वेंट स्कूल ताराहॉल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (कन्या) लक्कड़बाजार, ऑकलैंड हाउस स्कूल, ऑकलैंड हाउस स्कूल, आरकेएमवी, राजकीय महाविद्यालय संजौली, तिब्बतियन स्कूल छोटा शिमला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुसम्पटी, शिमला पब्लिक स्कूल खलीनी, राजकीय विद्यालय टुटीकंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालूगंज, एचपीयू शिमला, सेंट एडवर्ड स्कूल, सेंट बीड्ज कॉलेज, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, कमला नेहरू अस्पताल शिमला, दीन दयाल उपाध्याय शिमला, सेनेटोरियम अस्पताल चौड़ा मैदान, आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, राजभवन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला और हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला का शांत क्षेत्र (साइलेंस जोन) शामिल हैं।

सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में हुआ फैसला

### 90 डीबी तक होना चाहिए ध्वनि स्तर

भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार वाहन के प्रकार के आधार ध्वनि स्तर करीब 80-90 डीबी होना चाहिए। शहर की बात करें तो लोगों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए पहले ही 24 क्षेत्रों को शांत क्षेत्र घोषित किया है। इन क्षेत्रों में हॉर्न के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इसमें अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा न्यायालय क्षेत्र शामिल हैं। एएसपी टीटीआर नरवीर ठाकुर ने बताया कि सड़क सुरक्षा परिषद की चौथी में बैठक में बनी सहमति के बाद जिला सहित प्रदेशभर के पुलिस अधीक्षकों को प्रेशर हॉर्न को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

अमर उजाला, दिनांक.02 सितम्बर 2024
पेज न0 02 कालम–1,2

# रफ्तार का कहर : फोरलेन पर चार वाहन आपस में टकराए, 3 घायल

## बिलासपुर के ऋषिकेश में हुआ हादसा, एम्स में चल रहा घायलों का उपचार

ऋषिकेश (बिलासपुर)। किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर ऋषिकेश में चार वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में दो बच्चों सहित तीन लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों का उपचार एम्स में चल रहा है। झंडूता थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा रविवार दोपहर बाद हुआ।

ऋषिकेश में वाहनों में टक्कर के बाद लगा जाम। -संवाद

जानकारी के अनुसार किरतपुर की ओर जा रहे एक ट्रक ने अचानक अपनी लेन बदल ली। इसके पीछे चल रहीं दो कारों के चालकों ने भी रफ्तार कम कर दी। लेकिन इन कारों के पीछे चल रहा ट्रक चालक रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसने कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों कारें आगे चल रहे ट्रक से जोर से टकरा गईं। पंजाब नंबर की एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार दो बच्चे और एक व्यक्ति घायल हो गए। इस कार में सवार एक अन्य महिला और दूसरी कार का चालक सुरक्षित हैं। घायलों की पहचान अयान (7), आयुष (9) और अनुज (39) जालंधर पंजाब के रूप में हुई है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि आगामी कार्रवाई की जा रही है। संवाद

बिलासपुर में फोरलेन पर ऋषिकेश में टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हुई कार। संवाद

अमर उजाला, दिनांक.09 सितम्बर 2024

पेज न0 03 कालम–2,3

# सड़क हादसों में सात महीने में 403 लोगों ने गंवाई जान

शिमला। प्रदेश में इस साल जनवरी से जुलाई तक सड़क हादसों में 403 लोगों ने जान गंवाई है। सैकड़ों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।

जिला शिमला में हुए सड़क हादसों में सबसे अधिक 60 लोगों ने जान गंवाई है। मंडी में 58 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है।

ऊना जिले को भी सड़क हादसों को लेकर संवेदनशील माना गया है। यहां पर 45 लोगों की जान गई है। कांगड़ा और सिरमौर जिले में 43, चंबा में 34, बद्दी में 25, कुल्लू में 22, बिलासपुर में 19, सोलन में 15, नूरपुर में 15, हमीरपुर में 13, किन्नौर में 6 और लाहौल-स्पीति में 5 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। हालांकि कई जिलों में सड़क हादसों में मृत्यु में कमी हुई है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, नूरपुर और सोलन जिलों में पिछले साल की अपेक्षा इस साल सड़क हादसों में कमी दर्ज की गई है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक.09 सितम्बर 2024
पेज न0 05 कालम–3,4,5,6

# उत्तर प्रदेश बनते-बनते रहा ईवी बस चलाने में प्रथम राज्य

**2014 में बंगलुरु ने बाजी मारी, साल 1995 में आगरा समेत यूपी के 15 शहरों में दो चरणों में शुरु की जानी थी योजना**

रूपाली यादव

वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे पर विशेष

अमर उजाला पुराने पन्नों से

आगरा। साल 1995 में उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा था जहां इलेक्ट्रिक बस चलतीं लेकिन ये उस समय की सरकार की लापरवाही रही या और कुछ उत्तर प्रदेश को ये खिताब मिलने से रह गया और बंगलुरु 2014 में बाजी मार ले गया। अमर उजाला के 20 सितंबर 1995 अंक में प्रकाशित खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस समय इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस सेवा को मंजूरी भी दे दी गई थी, जोकि चीन की तकनीक पर आधारित थी। ये योजना यूपी के 15 शहरों में कुल 237 करोड़ रुपये की लागत से दो चरणों में शुरू की जानी थी। इसके पहले चरण में आगरा, लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर शामिल थे।

## भविष्य का परिवहन बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल

वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे आज के दौर में अपना अलग ही महत्व रखता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत एडी थॉमस ने की थी। साल 2020 में सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीट टीवी की पहल पर 9 सितंबर को पहला वर्ल्ड ईवी डे मनाया गया। ईवी वाहनों को पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों से संभावित प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और भारतीय प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस खास दिन का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे के बारे में जागरूक करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल से पर्यावरण के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत की जा सकती है।

## भारतीय ईवी बाजार

भारतीय बाजार ईवी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत में लगभग 16.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। इसमें सबसे ज्यादा योगदान इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया का रहा. पिछले साल करीब 9.5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और करीब 6.3 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन बिके। भारत में फिलहाल टाटा मोटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और एम्पीयर ईवीएस जैसी कई छोटी-बड़ी कंपनी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती आ रही हैं।

- भारत में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस मुंबई से पुणे के बीच चली।
- भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक कार लवबर्ड (1993) थी।
- भारत में पहली इलेक्ट्रिक बस बंगलुरु (2014) में चली।
- चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हाईवे है।
- 3 फरवरी 1925 पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बॉम्बे वीटी चलाई गई।
- हिमाचल प्रदेश पहला पहाड़ी राज्य जहां इलेक्ट्रॉनिक बस चली।

अमर उजाला, दिनांक.09 सितम्बर 2024
पेज न0 12 कालम–3,4,5,6

# बिना परमिट व टैक्स के टेंपो जब्त किया

## बीबीएन में आरटीओ की टीम ने की 48 वाहनों की जांच

**हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ बीबीएन**

▮ **यातायात नियमों की अवहेलना करने पर परिवहन विभाग ने काटे 23 गाड़ियों के चालान**
▮ **चालकों को हेलमेट व पीयूसी को लेकर भी किया जागरूक**

> बीबीएन में की गई कार्रवाई के दौरान जांच किए गए 48 वाहनों में से 23 वाहनों के चालान काटे गए हैं। वहीं बिना परमिट व टैक्स के दूसरे राज्य के एक टेंपों ट्रैवलर को जब्त किया गया है। वाहन चालकों सहित ट्रांसपोर्टरों से आह्वान है कि वे अपने वाहनों के दस्तावेज पूर्ण रखें और यातायात नियमों की अनुपालना करें अन्यथा विभाग नियमों को धत्ता बताने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा।
>
> **- मदन शर्मा, आरटीओ, नालागढ़।**

**रीजनल** ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसते हुए जहां उनके चालान काटे हैं, वहीं बिना परमिट व टैक्स के चल रहे दूसरे राज्य के एक टेंपो ट्रैवलर को इंपाउंड किया। आरटीओ मदन शर्मा की अगुआई वाली टीम ने 48 वाहनों की जांच की और 23 वाहनों के चालान काटे हैं, जिन पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस दौरान चालकों को हेलमेट व पीयूसी को लेकर भी जागरूक किया गया। जानकारी के अनुसार आरटीओ के नेतृत्व वाली टीम ने कार्रवाई के दौरान अनियमितताएं पाए जाने और दस्तावेजों की कमी सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा और उनके चालान काटे हैं। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के अलग-अलग हिस्सों में टीम ने वाहनों पर शिकंजा कसा और कई वाहनों के दस्तावेजों में खामियां पाईं। इस टीम ने यातायात नियमों को धत्ता बताने वाले चालकों सहित वाहनों के बिना परमिट, पीयूसी, अपूर्ण दस्तावेज, ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्रवाई की और अनियमितताएं पाए जाने पर 23 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान इस टीम ने बिना परमिट व टैक्स के दूसरे राज्य के टेंपों ट्रैवलर वाहन को जब्त कर लिया है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.09 सितम्बर 2024
पेज न0 07 कालम–1,2

# बिना रूट परमिट चल रहीं बसों के काटे चालान

**शिमला।** परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से बुधवार को यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे वाहनों पर शिकंजा कसा गया। बिना रूट परमिट और दस्तावेजों के दौड़ रही निजी बसों तथा गाड़ियों के चालान किए गए।

विभाग की ओर से आठ वाहनों से 23500 रुपये वसूले गए। अतिरिक्त आयुक्त की सूर्य दास नेगी अध्यक्षता में टीम ने सुबह 6:00 बजे कसुम्पटी में नाका लगाया। मल्याणा, कसुम्पटी से आईएसबीटी होते हुए सोलन के लिए एक निजी बस बिना रूट परमिट के चलाई जा रही थी। इसका चालान किया और दोबारा बिना रूप परमिट के बस न चलाने के लिए चालक को कड़ी हिदायत दी।

इसके साथ ही एक निजी संस्थान की बस बाया लक्कड़ की जगह बाया कसुम्पटी चलाने पर चालान किया गया। निजी गाड़ियों में सब्जियां ढोने, टैक्स अदायगी और दस्तावेज न होने पर वाहनों के चालान किए गए। संवाद

अमर उजाला, दिनांक.12 सितम्बर 2024
पेज न0 12 कालम–3,4

# लोक अदालत में 26 हजार चालानों का हुआ निपटारा

**अमर उजाला ब्यूरो**

**शिमला।** प्रदेशभर में 14 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में यातायात नियमों की अवहेलना पर करीब 26,378 चालानों का निपटारा किया गया है।

इसके तहत वाहन मालिकों से प्रदेशभर में 2,51,18,445 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। प्रदेश भर में यातायात नियमों की अवहेलना करने पर वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है।

इसके तहत विभिन्न नियमों की अवहेलना पर पुलिस चालान काटती है लेकिन वाहन चालक चालान का समय पर भुगतान नहीं करते हैं। इसको देखते हुए वाहन चालकों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है।

वहीं लोक अदालतों में कम जुर्माना लगाकर वाहन मालिक के चालान का निपटारा भी हो जाता है। इसको देखते हुए लोग चालान के भुगतान के लिए लोक अदालतों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शिमला के प्रभावी समन्वय और दिशानिर्देशों के कारण लंबित चालानों की कंपाउंडिंग में वृद्धि दर्ज की गई है

अमर उजाला, दिनांक.16 सितम्बर 2024
पेज न0 03 कालम–1,2

# तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर अब आधा किलोमीटर दूर से कट जाएगा चालान

अमर उजाला ब्यूरो

### विश्व बैंक के सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत खरीदी जाएंगी 7 हाईटेक इंटरसेप्टर गाड़ियां

**शिमला।** हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले चालकों का अब पुलिस आधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों के जरिये आधा किलोमीटर दूरी से चालान काट सकेगी। इन वाहनों में लगे 360 डिग्री स्पीड रडार की मदद से यह संभव हो सकेगा।

विश्व बैंक के सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत यातायात पर्यटन रेलवे विभाग ने इन वाहनों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट के तहत 7 आधुनिक गाड़ियों की खरीद की जा रही है जोकिं शिमला और नूरपुर को मिलेंगी। विभाग के मुताबिक इंटरसेप्टर वाहनों में स्पीड रडार के अलावा एल्कोहोल सेंसर भी लगे होंगे।

इससे शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। आमतौर पर देखा गया है कि पुलिस हाईवे पर वाहनों की रफ्तार मापने के लिए नाकाबंदी करती है, लेकिन पुलिस की टीम को देखकर ही चालक कुछ दूरी पहले ही स्पीड को कम कर देते हैं। ऐसे चालकों पर कार्रवाई संभव नहीं हो पाती है।

अब पुलिस विभाग के लिए ऐसे इंटरसेप्टर वाहन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे अधिक से अधिक दूरी से ही वाहनों की रफ्तार का पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों में फर्स्ट एड किट भी उपलब्ध होगी। इससे कहीं पर भी हादसा होने पर उसमें घायल होने पर वाले लोगों को प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। विश्व बैंक प्रोजेक्ट के सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा का चयन किया गया है। इन जिलों में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हाईवे पर आईटीएमएस कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हाईवे पेट्रोलिंग के लिए बुलेट औ इंटरसेप्टर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। पुलिस सड़क हादसों को कम करने के लिए इनकी मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे हादसों के कारणों का पता लगाया जा सके।

> सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग शिमला और नूरपुर के लिए 7 आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन खरीदने जा रहा है। इन वाहनों पर लगे स्पीड रडार 500 मीटर दूरी से भी वाहन की रफ्तार का पता लगा सकते हैं। हालांकि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए लिहाज से 50 से 250 मीटर की दूरी तक की क्लीयरेंस मिल पाती है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
>
> **–नरवीर सिंह राठौर, एएसपी यातायात, पर्यटन एवं रेलवे विभाग**

अमर उजाला, दिनांक.16 सितम्बर 2024
पेज न0 03 कालम–1,2,3

# बिलासपुर में परिवहन विभाग ने वाहन चालकों पर कसा शिकंजा

## अप्रैल माह से लेकर अब तक वसूला 48.72 लाख जुर्माना

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ बिलासपुर

बिलासपुर में परिवहन विभाग ने बीते पांच माह में बिगड़ैल वाहन चालकों एवं एमवी एक्ट की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसते हुए अब तक लाखों रुपये का जुर्माना वसूल किया है। परिवहन विभाग ने अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 48.72 लाख का जुर्माना वसूल किया है। वहीं, परिवहन विभाग ने अब तक जिले के विभिन्न हिस्सों में वाहन चालकों एवं एमवी एक्ट की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ लगभग 1181 चालान किए हैं। इसमें बहरहाल 300 चालान लंबित हैं, जिनसे से भी परिवहन विभाग को करीब 18 लाख की आय होने का अनुमान है। इन चालानों में वाहनों में मोबाइल सुनना, अधिक गति सीमा की उल्लंघना व जरूरी दस्तावेजों का न होना तथा ओवरलोडिंग के मामले मुख्य रूप में शामिल हैं। इसके अलावा किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर भी परिवहन विभाग की टीमों ने जुर्माना वसूलने के साथ ट्रक चालकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया है। एक ओर जहां परिवहन विभाग ने वाहन चालकों तथा एमवी एक्ट की खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ-साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक करने का भी काम किया है।

गौरतलब है कि बिलासपुर जिले के बरमाणा स्थित सीमेंट कारखाना, बागा व दाड़लाघाट में सीमेंट कारखाना होने के कारण वाहनों का आंकड़ा हजारों में है। बिलासपुर में परिवहन विभाग ने सामान्य वाहनों के चालानों के साथ-साथ निजी स्कूल बसों के खिलाफ भी विशेष चलाई। इसके तहत विभाग ने निजी स्कूलों की 15 वर्ष पुरानी 50 बसों की बदलने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले में 150 से अधिक निजी स्कूल है।

### ▮ 50 स्कूल बसों को दी बदलने की अनुमति

### 9 से 12 सितंबर तक चलाई विशेष मुहिम

बिलासपुर में परिवहन विभाग ने 9 से 12 सितंबर ने तीन टीमें गठित कर विशेष मुहिम चलाई। जिसमें एक टीम आरटीओ की अगुवाई में, दूसरी टीम में एआरटीओ व तीसरी टीम में फ्लाईंग टीम के सदस्य शामिल थे। इस दौरान परिवहन विभाग ने 157 चालान कर 5.44 लाख का जुर्माना वसूल किया।

> परिवहन विभाग ने अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 48.72 लाख का जुर्माना वसूल किया है। वहीं, परिवहन विभाग ने अब तक जिले के विभिन्न हिस्सों में वाहन चालकों एवं एमवी एक्ट की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ लगभग 1181 चालान किए हैं। इसमें बहरहाल 300 चालान लंबित हैं, इनसे भी परिवहन विभाग को करीब 18 लाख की आय होने का अनुमान है। लोगों को चाहिए कि वह यातायात नियमों की पालना करें।
>
> - राजेश कौशल, आरटीओ, बिलासपुर।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.16 सितम्बर 2024

पेज न0 06 कालम–1,2,3,4

# राजधानी में 40 निजी बसों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी

## पथकर जमा नहीं करने पर विभाग ने कसा शिकंजा

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। शहर में चलने वाली कई निजी बसों के मालिकों ने राज्य पथकर जमा नहीं करवाया है। परिवहन विभाग ऐसी बसों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रहा है।

आरटीओ शिमला ने ऐसी सभी निजी बसों के मालिकों को इसी सप्ताह बकाया राज्य पथकर जमा करवाने की अल्टीमेटम दिया है। तय समय में निजी बस संचालक बकाया कर की अदायगी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ब्लैक लिस्ट होने पर ऐसी बसें तय रूटों पर नहीं चल सकेंगी। परिवहन विभाग के मुताबिक शिमला शहर में 150 के करीब निजी बसें विभिन्न रूटों पर चलती हैं। इन बसों से हर रोज हजारों की संख्या में यात्री आवाजाही करते हैं।

परिवहन विभाग ने हाल ही में बसों के दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसमें पता चला है कि 150 में करीब 40 बसें ऐसी हैं, जिन्होंने राज्य पथकर जमा नहीं करवाया है।

यह कर महीने, तिमाही आधार पर भरा जा सकता है। इसके अलावा एडवांस में कर की अदायगी की भी सुविधा प्रदेश सरकार देती है।

ऐसे में परिवहन विभाग ने कर जमा नहीं करवाने वाले सभी निजी बस मालिकों को अल्टीमेटम जारी किया है, अगर इस सप्ताह के अंत तक उन्होंने राज्य पथकर की अदायगी नहीं की तो अगले सप्ताह से ऐसी बसों को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विभाग की इस सख्ती से बस ऑपरेटरों में हड़कंप मचा हुआ है। बसें चलाने पर रोक लगी तो लोगों को भी दिक्कतें होंगी।

> “शहर में चलने वाली करीब 40 बसों का राज्य पथकर जमा नहीं करवाया है। इन बसों के मालिकों को अल्टीमेटम दिया है कि वह इस सप्ताह के अंत तक बकाया कर की अदायगी करें। ऐसा नहीं करने पर बसों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए बस मालिक खुद जिम्मेदार होंगे।”
>
> –अनिल कुमार, आरटीओ शिमला

### कर जमा नहीं किया तो अगले हफ्ते से नहीं चला पाएंगे बसें

अमर उजाला, दिनांक.18 सितम्बर 2024

पेज न0 03 कालम–6,7

# शोघी, सुन्नी में वाहनों के चालान

शिमला। परिवहन विभाग ने शोघी और सुन्नी क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों के दस्तावेजों को जांचा।

इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों की जांच की गई। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर 100 वाहन चालकों के चालान काटे।

वाहन मालिकों से मौके पर परिवहन विभाग ने 54,000 रुपये जुर्माना वसूला, जबकि 20,000 रुपये जुर्माने की राशि लंबित है। परिवहन विभाग ने आरटीओ अनिल कुमार की अगुवाई में नाका लगाया था। इसमें शोघी में बसों, ट्रकों, पिकअप समेत अन्य यात्री वाहनों की जांच की गई। ट्रकों समेत अन्य वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट की समय अवधि सप्ताह हो चुकी थी।

परिवहन विभाग ने 85 वाहनों के चालान काटे। विभाग ने इसके बाद मंगलवार को सुन्नी में नाकाबंदी की। इस दौरान विभिन्न श्रेणी के वाहनों की जांच के बाद नियमों की अवहेलना पर 15 वाहनों के चालान काटे हैं। आरटीओ अनिल कुमार ने कहा कि सभी वाहन मालिक लंबित चालान की अदायगी एक सप्ताह के भीतर करें। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक.18 सितम्बर 2024
पेज न0 03 कालम–6,7

# निजी बस ऑपरेटरों को 168 रूटों पर चलानी होंगी अब बीएस-6 बसें

शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की ओर से सरेंडर किए गए 168 रूटों पर निजी बस ऑपरेटरों को बीएस-6 बसें चलानी होंगी। घाटे का हवाला देकर एचआरटीसी ने यह रूट सरेंडर किए हैं। सरकार के आदेशों पर परिवहन विभाग ने इन रूटों के लिए निजी बस ऑपरेटरों से आवेदन मांगे हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर नई बसें बीएस-6 होना अनिवार्य है।

यदि बस ऑपरेटर के पास 15 साल से कम पुरानी बस है तो उसे रूटों पर चलाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने इन रूटों पर 60:40 की शर्त भी हटा दी है। इस शर्त के तहत ऑपरेटरों को 60 फीसदी ग्रामीण और 40 फीसदी शहरी क्षेत्र में बसों का संचालन अनिवार्य किया गया था। अधिक संख्या में बस ऑपरेटर रूटों के लिए आवेदन करें, इसके लिए यह शर्त हटाई गई है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ रूटों की छानबीन कर नए सिरे से लिस्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो

**एचआरटीसी के सरेंडर 168 रूटों के लिए मांगे गए हैं आवेदन**

## एचआरटीसी ने 11 डिपो के रूट किए हैं सरेंडर

घाटे का हवाला देकर एचआरटीसी ने 11 डिपो के रूट सरेंडर किए हैं। इनमें शिमला में 37 रूट, रामपुर में 9, मंडी में 37, सोलन में 10, सिरमौर 4, हमीरपुर में 6, बिलासपुर में 10, ऊना में 8, नालागढ़ में 7, धर्मशाला में 32 और कुल्लू डिपो के 8 रूट शामिल हैं।

"एचआरटीसी की ओर से सरेंडर किए गए 168 रूटों पर निजी बस ऑपरेटरों को बीएस-6 बसें चलानी होंगी। हालांकि, अगर किसी ऑपरेटर के पास कोई पुरानी बस है, जो 15 साल से पुरानी नहीं है, उसे भी चलाया जा सकता है। रूटों की सूची में खामियों के चलते इसे एचआरटीसी को रेफर बैक किया गया है। **-नरेश ठाकुर, सहायक आयुक्त परिवहन विभाग**

अमर उजाला, दिनांक.19 सितम्बर 2024
पेज न0 03 कालम–5,6,7

# शहर में 25 जगह स्थापित किए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन

## परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है कवायद

अमर उजाला ब्यूरो

**शिमला।** शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 25 जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए स्थान भी चिह्नित कर लिए हैं।

परिवहन विभाग की ओर से शिमला शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और ईवीसीआई नेटवर्क योजना 2025-35 को लेकर शुक्रवार को कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें शहर में भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को देखते हुए कार्य योजना तैयार की है।

यह चार्जिंग स्टेशन लोगों की मांग और सर्वे के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। कार्यशाला में आईएएस अधिकारी पंकज ललित बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे। इसके अलावा परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर नरेश ठाकुर, एडीबी से विकास अत्री, ईवाई से सोमेश कुमार और अन्य स्टेक होल्डर ने भी शिरकत की।

परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त नरेश ठाकुर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 फीसदी अनुदान की सुविधा प्रदान कर रही है। कहा कि

### यहां स्थापित किए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन

**शिमला** में आईजीएमसी अस्पताल के पास, जाखू के पास न्यू पार्किंग, इनकम टैक्स गेस्ट हाउस की पार्किंग, एसजेवीएन की पार्किंग, सचिवालय की पार्किंग में 4 चार्जिंग प्वाइंट, लिफ्ट पार्किंग, जीवणू कॉलोनी, कसुम्पटी, बस स्टैंड गुरुद्वारा के पास, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, टूरिस्ट पार्किंग नजदीकी लिफ्ट, एडवांस्ड स्टडी, एचपी पेट्रोल पंप न्यू शिमला पार्किंग, टुटीकंडी, इंद्र नगर में एमसी की पार्किंग और संजौली पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

### इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने से पर्यावरण का होगा संरक्षण

पर्यावरण को बचाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इससे लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

अमर उजाला, दिनांक.21 सितम्बर 2024
पेज न0 04 कालम–5,6

# प्रदेश में महंगा होगा वाहन पंजीकरण

## ग्रीन टैक्स लगेगा; सॉफ्टवेयर में खामी दूर, आपत्तियां-सुझाव मांगे

चीफ रिपोर्टर – शिमला

हिमाचल प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो गया है। वाहनों पर अब ग्रीन शुल्क देना होगा। इसको लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को अब दूर कर दिया गया है। वर्ष 2023 में यह शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी। इसके चलते ग्रीन टैक्स की वसूली अभी तक नहीं हो पाई थी। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने से पहले परिवहन विभाग ने इसको लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। एक सप्ताह के भीतर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। वाहन के अनुसार 500 से चार हजार रुपए तक ग्रीन शुल्क वसूला जाएगा। पंजीकरण फीस के साथ ही यह शुल्क भी देना होगा। नए वाहनों के पंजीकरण में कुल लागत पर अभी तक पंजीकरण शुल्क लगता है। पुराने वाहनों के पंजीकरण के दौरान बीमा में दर्ज कीमत के अनुसार तीन फीसदी टैक्स लिया जाता है।

- पांच सौ से चार हजार रुपए तक वसूला जाएगा शुल्क

सभी प्रकार के नए व पुराने वाहन मालिकों से पंजीकरण फीस के अलावा ग्रीन शुल्क भी लिया जाएगा। ग्रीन शुल्क से एकत्र होने वाला धन पर्यावरण व सड़क सुरक्षा के कार्यों पर लगाया जाएगा। सरकार पहले ही इसका निर्णय ले चुकी है और अब आपत्तियां व सुझाव आने के बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। सात दिनों में आपत्तियां व सुझाव आने पर परिवहन विभाग इसकी समीक्षा करेगा और नए नियम को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा।

**दिव्य हिमाचल, दिनांक.22 सितम्बर 2024**
**पेज न0 02 कालम–3,4,5**

# मोबाइल सुनते हुए ड्राइविंग करने वाले 400 चालकों के लाइसेंस होंगे कैंसल

खेमराज शर्मा ▮ शिमला

- *प्रदेश पुलिस ने की रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से सिफारिश*
- *रात 9 से 11 बजे तक नाके लगाएगी पुलिस*
- *पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी को जारी किए निर्देश*
- *हादसों में होने वाली मौतों में 50 फीसदी कमी का टार्गेट*

**हिमाचल** प्रदेश में फोन सुनते हुए व्हीकल ड्राइव करने वाले 400 चालकों के लाइसेंस रद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आएएल) को इन सभी लाइसेंस को कैंसल करने के लिए सिफारिश की है।

हिमाचल पुलिस 2030 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 50 फीसदी कमी लाना चाह रही है। यही वजह है कि हिमाचल पुलिस लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरत रही है। वहीं मंगलवार से पुलिस ने एक विशेष कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इसमें वह रात 9 से 11 बजे तक विभिन्न जगहों पर नाके लगाएगी जिसमें लापरवाह वाहन चालकों के चालान किए जाएंगे और उन्हें यातायात नियमों को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। हिमाचल पुलिस ने इस साल अभी तक ओवरस्पीड के 550 लाइसेंस जब्त किए हैं। इतना ही नहीं गुड्स कैरिज में हो रही ओवरलोडिंग के भी 20 से ज्यादा लाइसेंस और गुड्स कैरियर में सवारियों को ढोने पर 15 लाइसेंस जब्त किए गए हैं। हिमाचल पुलिस शराब पीकर और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले चालकों पर 100 फीसदी सख्ती बरत रही है। इसी को लेकर मंगलवार से राज्य में यातायात नियमों को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया रहा है। 8 अक्तूबर तक यह कैंपेन चलेगा। जिसमें रात्रि 9 से 11 बजे तक जिलों के विभिन्न हिस्सों में नाके लगाए जाएंगे। क्योंकि एक सर्वे में यह सामने आया है कि हिमाचल में होने वाले हादसों में सबसे ज्यादा हादसे रात्रि 9 से 11 बजे तक होते हैं। इसी के चलते इसी समय के बीच नाके लगाकर वाहनों को चेक किया जाएगा। जिसमें वाहन चालकों को जागरूक भी किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बाबत सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने एसपी को कहा है कि शराब पीकर और मोबाइल फोन सुनते समय वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्ती की जाए।

**65 लोकेशंस पर आईटीएमएस से निगरानी**

हिमाचल पुलिस ने यातायात नियमों में सख्ती लाने के लिए राज्य की 65 लोकेशंस पर इंटैलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है। इससे ओवरस्पीड करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखी जा रही है। इस साल एक लाख चालान इंटैलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से किए गए हैं।

> यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है लापरवाह चालकों के चालान भी किए जा रहे हैं। जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वह नाके लगाकर वाहन चालकों और वाहनों की चेकिंग करें।
>
> -डॉ. अतुल वर्मा, डीजीपी

**हिमाचल दस्तक दिनांक.25 सितम्बर 2024**

पेज न0–03 कालम–1,2,3,4

# एंबुलेंस में ढोई जा रहीं सवारियां, काटे चालान

## रिज मैदान पर आरटीओ ने नाका लगा की कार्रवाई, 14 वाहन जांचे, सात में मिलीं सवारियां

शिमला। राजधानी शिमला के रिज और मालरोड से रोगी वाहन सवारियां और सामान्य मरीजों को ढोकर ले जा रहे हैं।

इसका खुलासा बुधवार को आरटीओ शिमला की रिज पर की गई नाकाबंदी में हुआ है। आरटीओ शिमला ने 14 रोगी वाहनों की जांच की। इस दौरान 7 रोगी वाहनों में सामान्य मरीज, सवारियां और तीमारदार बैठे मिले। परिवहन विभाग ने इन वाहनों के चालान काटकर करीब 21,000 रुपये जुर्माना वसूला है। आरटीओ शिमला के मुताबिक उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि रिज और मालरोड पर चल रहे रोगी वाहनों में सवारियों को ढोया जा रहा है। इसके बाद यहां नाका लगाकर कार्रवाई की। ब्यूरो

### फाइव बेंच पर पांच टैक्सियों के काटे चालान

परिवहन विभाग ने बुधवार को जाखू के पास फाइव बेंच में खड़ी होने वाली टैक्सियों के दस्तावेज भी जांचे। इस दौरान इंश्योरेंस की अवधि खत्म होने और फिटनेस सर्टिफिकेट सहित अन्य खामियों के चलते पांच टैक्सियों के चालान काटे। टैक्सी चालकों को विभाग ने जागरूक किया कि सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए समय पर इंश्योरेंस सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करें।

"रोगी वाहनों का रिज और मालरोड से सवारियां लेकर चलने की शिकायतें आईं थी। इसको देखते हुए विभाग ने नाकाबंदी की। इस दौरान सात रोगी वाहनों के सवारियां और सामान्य मरीज ढोने पर चालान काटे हैं।"
–अनिल शर्मा, आरटीओ शिमला

शिमला के रिज मैदान पर रोगी वाहन का निरीक्षण करते हुए आरटीओ। लोगों ने एंबुलेंस में सवारियां ढोने की शिकायत की थी। अमर उजाला

अमर उजाला, दिनांक.26 सितम्बर 2024
पेज न0 03 कालम–1,2,3,4

# रोगी वाहनों में सवारियां ढो रहे 7 वाहनों के काटे चालान

## आरटीओ ने रिज में लगाया नाका, 3-3 हजार का जुर्माना किया

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

राजधानी शिमला में रोगी वाहनों की आड़ में टैक्सी का व्यापार हो रहा है। परिवहन विभाग ने शहर में टैक्सी बनी एंबुलेंसों पर कड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को आरटीओ अनिल शर्मा ने रिज मैदान पर नाका लगाया। रिज मैदान से गुजरने वाले सभी रोगी वाहनों की तलाशी ली गई। आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने स्वयं फील्ड पर उतरकर रोगी वाहनों की चैकिंग की।

इस दौरान 13 वाहनों की तलाशी ली गई। इसमें 7 रोगी वाहन नियमों की धज्जियां उड़ाते पकड़ी गईं। एंबुलेंस में सवारियां और मरीजों के तीमारदारों को ले जाया जा रहा था। 7 रोगी वाहनों के चालक नियमों की उल्लंघन करते हुए पाए गए। 7 वाहनों के 3-3 हजार के चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि रोगी वाहनों में सवारियां ढोना दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में कारवाई और कड़ी होगी। उन्होंने कहा कि अगर दूसरी बार नियमों की उल्लंघना हुई तो चालान का अमाउंट बढ़ेगा और गाड़ियां भी बॉन्ड की जाएगी।

**जाखू में भी लगाया नाका**
शिमला के जाखू में भी आरटीओ द्वारा नाका लगाया गया। इस सभी गाड़ियों की चैकिंग की गए। जाखू में भी 7 गाड़ियों के चालान किए गए।

हिमाचल दस्तक दिनांक.26 सितम्बर 2024
पेज न0–04 कालम–1,2